

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ९७६ / 2025

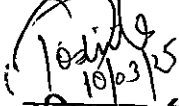
दिनांक : 10.03.2025

श्रीमती अनु चौधरी (RJ00439), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, अलवर को दिनांक 14.02.2025 से 19.02.2025 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, अलवर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

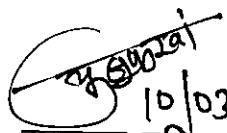

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/72/2002/

दिनांक : 10.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, अलवर को उनके पत्रांक 87 दिनांक 20.02.2027 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनु चौधरी (RJ00439), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, अलवर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।


सहायक रजिस्ट्रार